

BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD,

(GOVT. OF U.P, DEPARTMENT OF LABOUR)

LEKHRAJ BUILDING-2, INDIRA NAGAR, LUCKNOW



Phone .No – 0522-2344000-01

Fax.No- 0522-2344002

E-mail Id- upbocboardkanpur@gmail.com

सेवा में.

पत्रांक:-

दिनांक:-

विषय:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1 प्रतिशत उपकर जमा करने के विषय में।

महोदय,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली 2009 का कृपया अवलोकन करें। जिसके अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए उक्त अधिनियम के धारा-3, उपधारा-1 में 1 प्रतिशत उपकर, श्रमिकों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश में जितने भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को देय होता है।

परन्तु हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके ×××××××× द्वारा संपूर्ण निर्माण कार्य लागत का 1 प्रतिशत उपकर नहीं दिया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि संपूर्ण लागत का 1 प्रतिशत उपकर पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करते हुए “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इलाहाबाद बैंक, शाखा-बापू भवन, लखनऊ कोड संख्या-212174 खाता संख्या-50151688773, IFSC Code No. ALLA0212174” के पक्ष में जमा करें। अन्यथा आपके विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपसे अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित प्रारूप में सूचना देने का कष्ट करें:-

पना का व पता	ठेकेदारों के नाम	कार्य की प्रकृति एवं स्थान	रजिस्ट्रेशन की संख्या BOCW(RE &CS) नियम के अंतर्गत	लाइसेंस की संख्या एवं दिनांक CL(R&A) नियम के अंतर्गत	कार्यरत श्रमिकों की संख्या	परियोजना की कुल लागत	ज ग व

भवदीय,

कः-

दिनांक:-

लेपि:-1. प्रमुख सचिव, श्रम एवं रोजगार, बापू भवन को सूचनार्थ हेतु।

2. सचिव बोर्ड, लेखराज मार्केट-2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ इस आशय के साथ की कृपया त क्षेत्र अधिकारी से उक्त प्रतिष्ठान की जांच कराई जाये तथा उक्त संबंधित सूचना तत्काल प्राप्त की जाये, से समुचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,